MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total number of Districts in Uttar Pradesh which have been so far been declared as industrially backward; and

(b) what is the basis on which a District is declared as industrially backward?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) 41 Districts of Uttar Pradesh have been declared as industrially backward.

(b) The criteria for identification of backward districts were:

(i) per capita food grains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of food grains/cash crops,

(ii) ratio of population to agricultural workers,

(iii) per capita industrial output,

(iv) number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population,

(v) per capita consumption of electricity; and

(v) length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

लघु उद्योग क्षेत्र से प्रतिबंधों का हटाया जाना

7730. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को उद्योग नीति के संबंध में वक्तव्य जारी करने के बाद से, लघु उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण नीति के अन्तर्गत प्रतिबंधों के हटाये जाने के लिए संबंध में कोई कदम उठाये गय हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में इस संबंध में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1994–95 के वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कराधान को व्यापक बना देने के कारण लघु उद्योगों के अनार्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि वित्तीय वर्ष 1994–95 में सरकार द्वारा कराधान का विस्तार करने के कारण उद्योगों के गैर-आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि हुई है । 1994–95 के बजट में विनिर्माण की विभिन्न मदों पर विशिष्ट उत्पाद-शुल्क की छूट को समाप्त कर दिया गया है । तथापि, कुछ मदों, जैसे 50/- रुपये तक के मूल्य के जूतों के जोड़, छतरियों, बिजली की सहायता के बिना बनाये गये साबुन, पर उत्पाद शुल्क छूट को बरकरार रखा गया है । वस्तुतः लघु इकाइयों के लाभार्थ कई महत्वपूर्ण सरल कार्यपद्धतियों की घोषणा की गई है । लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क छूट योजना से लाभ उठाने के लिए उद्योग निदेशालयों में पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । लघु औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड पर उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए विचार किया जायेगा और लघु औद्योगिक इकाइयों को कोई अतिरिक्त रिकार्ड रखने की जरुरत नहीं है । लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क के कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी होती है । साधारण तिमाही विवरणी पर्याप्त होती है । 30 लाख रुपये तक के सामान की बिक्रियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय में कोई घोषणा दायर करने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

सरकार को 24 जुलाई, 1991 को घोषित नयी औद्योगिक नीति के अनुसरण में प्रतिबंधों को समाप्त करने की दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं । ये उपाय 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु उद्योगों के लिए नीतिगत उपायों के वक्तव्य में दिये गये हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबंधों को समाप्त करने की दिशा में की गई संक्षिप्त कार्यवाही का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

1991 :

1. लघु उद्योगों में संयंत्र तथा मशीनरी के रूप में निवेश सीमा बढ़ा दी गयी है।

2. लघु उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना- स्थल संबंधी मानदंडों को समाप्त कर दिया गया है ।

3. लघु उद्योगों और सेवा व्यावसायिक उद्यमों से संबद्ध उद्योग जिसकी स्थायी परिसंपत्ति के रूप में निवेश 5 लाख रु० तक है— जिसमें भूमि व भवन शामिल नहीं है, को लघु उद्योग के समान दर्जा दिया गया है ।

4. लघु उद्योग में प्रतिबंधित सूची समाप्त कर दी गयी है ।

1992 :

1. लघु औद्योगिक एककों के लिए जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत स्वीकृति पाने की पद्धति को सरल कर दिया गया है। अब लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक घोषणा देनी होती है जो स्वीकृति के रूप में होती है लेकिन यह 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रों के अलावा है ।

2. लघु एककों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक ईक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गयी है ।

1993 :

1. अप्रैल, 1993 में लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए भुगतान में विलंब पर ब्याज के लिए एक अधिनियम की घोषणा की गई ।

2. लघु इकाइयों के अनंतिम तथा स्थायी पंजीकरण के आवेदन पत्र को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है ।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यकरण के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति

7031. श्री वीरेन जे० शाह :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में खादी ग्रामोद्योग का समग्र विकास करने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय शक्ति-सम्पन्न समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गयी थी और इसे अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ;

(ग) समिति के नामनिर्देशित चेयरमैन और सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ङ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की क्या योजनाएं हैं ; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर ना हो तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।